(15)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(अधिसूचना)

जी. एस. आर. 3926/ मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल परिवहन विभाग की प्रवर्त्तन शाखा में भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली विहित करते है ।

बिहार परिवहन (प्रवर्त्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003

भाग-1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(क) इस नियमावली को बिहार परिवहन (प्रवर्त्तन शाखा) संवर्ग नियमावली 2003 कहा जा सकेगा ।

(ख) यह नियमावली बिहार राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2 परिभाषाएँ- इन नियमों में जबतक विषय एवं संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ख) "विभाग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का परिवहन विभाग,

(ग) "नियुक्ति पदाधिकारी" से अभिप्रेत है:-

(i) प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन निरीक्षक के मामलों में राज्य परिवहन आयुक्त ।

(ii) प्रवर्त्तन पदाधिकारी के मामले में राज्य सरकार

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

(ङ) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार परिवहन (प्रवर्त्तन शाखा) संवर्ग,

(च) " संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है भारत का नागरिक जो इस नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग के किसी पद पर नियुक्त किया गया है ।

छ) "राज्य परिवहन आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में इस पद पर अधिसूचना के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ।

3. संवर्ग- इस संवर्ग में निम्नांकित पद होंगे:

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक	23	4000-6000/- रू0
प्रवर्त्तन निरीक्षक	7	4500-7000/- रू0
प्रवर्त्तन पदाधिकारी	10	6500-10500/- रू0

4. संवर्ग के पदों की संख्या में परिवर्तन इत्यादि- राज्य सरकार समय-समय पर नियम 3 में उल्लिखित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकेगी, सृजित पदों को स्थगन में रख सकेगी, किन्ही पर या पदों को बिना भरे हुए रख सकेगी, अथवा उन पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा भिन्न संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त कर सकेगी किन्तु प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारियों को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभों का दावा मान्य नहीं होगा ।

परन्तु प्रतिनियुक्ति पर इस सेवा के किसी पद पर भिन्न संवर्ग का पदाधिकारी तीन वर्षो से अधिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न रह सकेगा ।

परन्तु यह भी कि सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत किसी पदाधिकारी की सेवा ऐसे पद के लिए उपलब्ध हो जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के कार्यकलाप एवं आचरण संतोषप्रद न पाए जाने की स्थिति में उसकी सेवा तीन वर्ष पूरे होने के पूर्व वापस की जा सकेगी और इसके फलस्वरूप वह किसी प्रकार का दावा नही कर सकेगा ।

5. प्रास्थिति- इस संवर्ग के प्रवर्तन पदाधिकारी राजपत्रित पदाधिकारी माने जायेंगे ।

भाग-2
सीधी नियुक्ति

6. सीधी नियुक्ति के पद एवं श्रोत- संवर्ग के पदों में सीधी नियुक्ति केवल प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के पद पर आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी ।

7. रिक्तयों का निर्धारण- राज्य परिवहन आयुक्त प्रत्येक वर्ष में संभावित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेंगे और इसकी सूचना आयोग को देंगे । रिक्तियों की संख्या सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार निर्धारित की जाएगी ।

8. रिक्तियों का विज्ञापन एवं आवेदन का प्रकरण आयोग सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के बारे में रिक्तियों की घोषणा समय समय पर जिस रीति से उचित समझे करेगा। आयोग सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा जिसकी प्रक्रिया आयोग स्वयं तय करेगा ।

9. **आयु सीमा- प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी ।**

टिप्पणी- किसी अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने हेतु प्रवेशिकोत्तीर्ण प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को आधार माना जायगा ।

10. **शारीरिक योग्यता एवं स्वास्थ्य- अभ्यर्थी को पूर्णत: स्वस्थ्य एवं चुस्त होना चाहिए तथा किसी ऐसे आनुवंशिक दोष या शारीरिक अपंगता से मुक्त होना चाहिए जो विभाग में प्रवर्त्तन के कार्यो को सम्पन्न करने में उनकी दक्षता में व्यवधान पहुंचा सकता हो ।**

11. **चरित्र- अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति नियुक्ति के पात्र नही होंगे ।**

12. **शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए ।**

13. **प्रतियोगिता परीक्षा- प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित तीन खंड होंगे -**

(क) लिखित परीक्षा
(ख) शारीरिक जांच
(ग) साक्षात्कार

टिप्पणी- शारीरिक जांच केवल अर्हक प्रवृत्ति का होगा ।

14. **लिखित परीक्षा- लिखित परीक्षा आयोग ऐसे तरीके से करेगा जैसा वह उचित समझे ।**

15. **शारीरिक जांच- चयनित सूची के अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता की जांच आयोग ऐसे तरीके से करेगा जैसा वह उचित समझें । शारीरिक योग्यता का न्यूनतम माप दंड निम्न प्रकार से होगा:**

पुरूष (i) लम्बाई 165 से. मी.
(ii) सीना 79 से. मी. बिना फुलाये हुए
84 से. मी. फुलाने के बाद
(iii) पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 कि.मी.

महिलायें- (i) लम्बाई 150 से. मी.
(ii) पैदल चलने की क्षमता- 4 घंटे में 14 कि.मी.

17. साक्षात्कार- लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को आयोग साक्षात्कार क लिए आमंत्रित करेगा जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में प्रवर्त्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायगा ।

18. आयोग द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी को अनुशंसा- लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच तथा साक्षात्कार के आधार पर आयोग एक अंतिम मेघा सूची तैयार करेगा । मेघा सूची के आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक का योग होगा । तत्पश्चात आयोग रिक्तियों की संख्या और आरक्षण के अनुरूप कोटि-वार अंतिम मेघा सूची उतनी संख्या में नियुक्ति पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

टिप्पणी- (i) दो या दो से अधिक अभ्यार्थियों का प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को मेघा क्रम में उपर रखा जायगा ।

(ii) नियुक्ति पदाधिकारी अभ्यर्थी के नियुक्ति हेतु उपलब्ध न होने या नियुक्ति हेतु अयोग्य हो जाने की स्थिति में मेघा क्रम से अतिरिक्त नाम की अनुशंसा आयोग से मांग सकेगा ।

परन्तु यह कि आयोग द्वारा प्रथम अनुशंसा किये जाने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति पर आयोग से प्राप्त किसी पूरक अनुशंसा पर न तो विचार किया जा सकेगा और न तो आयोग उसके बाद कोई पूरक अनुशंसा भेजेगा ।

18. चिकित्सीय जांच- आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यार्थीयों की चिकित्सकीय जांच एक मेडिकल बोर्ड, जो निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें द्वारा गठित की जायगी से कराई जायगी । मेडिकल बोर्ड द्वारा सुयोग्य घोषित अभ्यर्थी को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा चयनित पद पर नियुक्त किया जायगा ।

[illegible] अंतिम रूप में चयनित एवं [illegible] अभ्यर्थी को दो वर्षों के लिए परीक्ष्यमान रूप में प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जायगा । इस अवधि में उन्हें विभागीय कार्यों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु किसी ऐसे संस्थान या संस्थानों में भेजा जा सकेगा। जहां सरकार उचित समझें । परीक्ष्यमान अवधि में सेवा के सदस्यों को उनके पद के लिए पद का वेतनमान एवं सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते अनुमान्य होगें ।

(ख) परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त कोई सदस्य यदि प्रशिक्षण सफलता पूर्वक नही पूरा करते हो अथवा परीक्ष्यमान अवधि में उसके कार्यकलाप संतोषप्रद नही पाय जाते है तो परीक्ष्यमान अवधि को नियुक्ति पदाधिकारी एक वर्ष और बढ़ा सकेगा । यदि इस विस्तारित अवधि में भी वह प्रशिक्षण में सफल नही होता है तो, या उसका कार्यकलाप अथवा आचरण संतोषप्रद नही पाया जाता है तो, सेवा से आयोग्य धोषित किया जा सकेगा और नियुक्ति पदाधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा और सेवा का ऐसा सदस्य किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा ।

(ग) संपुष्टि- सेवा के किसी परीक्ष्यमान सदस्य को परिवीक्षा अविध यां बढ़ायी गयी अवधि की समाप्ति पर यदि उनका कार्य और आचरण संतोषप्रद पाया गया हो, और विहित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों तो संपुष्ट कर दिया जाएगा ।

भाग-3
प्रोन्नति

20. प्रवर्त्तन निरीक्षक- प्रवर्त्तन निरीक्षक के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

(क) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा निम्नलिखित रूप से गठित प्रोन्नति समिति के द्वारा की जाएगी:

(1) राज्य परिवहन आयुक्त- अध्यक्ष
(2) परिवहन विभाग के उप सचिव के अन्यून पंक्ति के एक पदाधिकारी- सदस्य
(3) संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त/ अपर राज्य परिवहन आयुक्त स्तर के एक पदाधिकारी- सदस्य
(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी

टिप्पणी- कमांक 2 की अनुपलब्धता की स्थिति में सचिव, परिवहन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी सदस्य हो सकेगा ।

(ख) प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0 280, दिनांक- 05.07.2002 एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमान आधारित निर्धारित कालावधि अनुसार होगी ।

21. **प्रवर्त्तन पदाधिकारी-** प्रवर्त्तन निरीक्षक के पद से प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0- 280, दिनांक- 05.07.2002 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमान आधारित निर्धारित कालावद्धि के अनुसार होगी ।

22. **आयोग की अनुशंसा एवं नियुक्ति-** (क) प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा निम्न रूप से गठित एक समिति के द्वारा की जायगी जो वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति की अनुशंसा कर सकेगी ।

(1) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित एक सदस्य- अध्यक्ष
(2) सचिव, परिवहन विभाग- सदस्य
(3) राज्य परिवहन आयुक्त- सदस्य
(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रतिनिधि-सदस्य

बिहार लोक सेवा आयोग की चयन एवं अनुशंसा की प्रकिया वही होगी जो राजपत्रित सेवाओं में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की प्रकिया निर्धारित है ।

(ख) बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् सरकार प्रोन्नति द्वारा प्रर्वतन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति करेगी ।

23. **प्रोन्नति औपबंधिक होगी-** नियम 21 के अंतर्गत चयनित प्रवर्त्तन अवर निरीक्षकों को या नियम 23 के अंतर्गत चयनित प्रवर्त्तन निरीक्षकों को प्रोन्नति औपबंधिक रूप से दी जायगी और प्रोन्नति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अंतर्गत उनके कार्यकलाप संतोषप्रद नही होने की स्थिति में बिना विभागीय कार्यवाही की विस्तृत प्रक्रिया अपनाये उन्हें मौलिक रूप से धारित मूल कोटि के पद पर प्रत्यवर्तित किया जा सकेगा ।

भाग-4
विविध

24. **पारस्परिक वरीयता-** (क) संवर्ग के उन सदस्यों जिनकी सीधी नियुक्ति किसी कैलेन्डर वर्ष में निर्धारित चयन प्रक्रिया से आयोग की अनुशंसा पर हुई हो की पारस्परिक वरीयता वही

[illegible] आयाम की सेवा [illegible] में थी ।

(ख) संवर्ग के जो सदस्य इन नियमों के प्रवृत होने के पूर्व इस संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त हो चुके है वे जब तक अन्यथा कोई आदेश न हो तब तक इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेगें और संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे । सीधी भर्त्ती से नियुक्ति पदाधिकारी की अपेक्षा उनकी पारस्परिक वरीयता इस संवर्ग के पद पर नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होगी ।

टिप्पणी- इस निवृत्त होने की तिथि को या इसके बाद जो पदाधिकारी भिन्न संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर आकर कार्यरत हो उन्हें इस संवर्ग का सदस्य नही माना जायेगा।

25. **विभागीय परीक्षा- संवर्ग में सीधी भर्त्ती** से नियुक्त प्रत्येक **सदस्य को एक विभागीय** परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी जो राजस्व पर्षद द्वारा मुफसील अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए **आयोजित परीक्षा के साथ आयोजित** की जाएगी । **इसके अतिरिक्त इस परीक्षा में** मोटर वान से **संबंधित नियमों, अधिनियमों** में उनकी दक्षता की जांच करने के **उद्देश्य से प्रश्न** पत्र गठित **किए जाएगें । नियुक्ति की तिथि** से दो वर्ष की **अवधि में विभागीय परीक्षा में** उत्तीर्ण **नही होने की अवस्था में सेवा के** सदस्य को दूसरी **वेतन वृद्धि तब तक देय नहीं** होगी **और तब तक किसी प्रोन्नति के लिए** विचारा नहीं जाएगा, **जब तक कि वह विभागीय** परीक्षा में **उत्तीर्णता प्राप्त नही कर लेता है किन्तु** 50 वर्षो **की आयु पूरा होने** पर **विभागीय** परीक्षा में **छूट दी जा सकेगी ।**

परन्तु यह कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने पर अवरूद्व वेतन **वृद्धियाँ** ऐसी **परीक्षा की तिथि से बिना किसी बकाये** के अनुमान्य कर दी **जायेंगी और** संपुष्टि **अथवा** प्रोन्नति **हेतु उनकी पात्रता उसी तिथि से बहाल** हो जाएगी ।

26. **आरक्षण- सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति** द्वारा नियुक्ति **के मामले में कार्मिक एव** प्रशासनिक **सुधार विभाग द्वारा समय-समय** पर लागू आरक्षण **के अधिनियम/** नियमावली/ संकल्प/ **अनुदेश के प्रावधान लागू होगें ।**

[redacted]- नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासन, अपील सहित सेवा शर्त्त **के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्य सभी प्रावधान जिनके लिए इस नियमावली में विशिष्ट उपलब्ध नही किए गये हो सेवा के सदस्यों पर** लागू **होंगे ।**

28. **निरसन एवं व्यावृत्ति - (1) परिवहन** विभाग के ज्ञापांक 2130 दिनांक 21.03.1991 में निहित **नियमावली एतद् द्वारा निरसित की जाती है ।**

(2) उक्त निरसन के होते हुए भी निरसित की गयी नियमावली के किसी उपबंध के अधीन

किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई [illegible] या कार्रवाई इस नियमावली के उपबंधों के असंगत न हो, इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जायगी ।

(संचिका सं0 7 (बी)ई 97/2000 (खंड-1)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एन. के. सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

जी.एस.आर. 3926 / उपर्युक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधिन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एन. के. सिन्हा)

सरकार के सचिव ।

(Notification)

G.S.R. 3926 / In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the Constitution of India read with Section 213 of the Motor Vehicles Act,1988, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate appointment, promotion and service conditions of the Enforcement wing of the Transport Department.

Bihar Transport (Enforcement Wing) Cadre Rules, 2003

Part-I

General

1) Short title and commencement

a) These rules may be called the Bihar Transport (Enforcement wing) Cadre Rules 2003.

b) These rules shall come into force from the date of publication in the Bihar Gazette.

Definitions:- In the rules, unless, the context and subject otherwise requires:-

a) 'Government' means the State Government.

b) 'Department' means the Transport Department of State Government.

c) 'Appointing authority' means

(i) The State Transport Commissioner in cases of Enforcement Sub-Inspector and Enforcement Inspector.

(ii) The State Government in cases of Enforcement Officer.

d) 'Commission' means the Bihar Staff Selection Commission.

e) 'Cadre' means the Bihar Transport (Enforcement wing) Cadre.

f) 'Member of Cadre' means a citizen of India who has been appointed on any post in the cadre under these rules.

g) 'State Transport Commissioner' means an officer appointed notification of the State Government on the post in the Transport Department.

3) Cadre - There shall be following posts in this cadre:-

Name of posts	Number of posts	Pay-Scale
1	2	3
1) Enforcement Sub-Inspector (Original Category)	23	Rs.4000-6000
2) Enforcement Inspector	07	Rs.4500-7000
3) Enforcement Officer	10	Rs.6500-10500

4) Revision of number of posts etc. in the cadre:- The Government, from time to time, may reduce the number of posts mentioned in rule-3, may create additional permanent or temporary posts, may order to hold the created post in abeyance, may leave any post or posts unfilled up or may obtain services of officers of different other cadres on deputation for which no claim for additional financial benefit shall be allowed to such officers deputation.

Provided that any officer of different cadre on deputation on any post in this cadre shall not remain on deputation for more than three years.

Provided further that on availability of officer by direct recruitment or by promotion in the cadre for these posts, or in case the service and conduct of any officer on deputation is not found satisfactory, his service shall be repatriated even before completion of three years and for this he shall not claim any compensation.

5) Status:- The Enforcement Officer in this cadre shall be a Gazetted officer.

Part-2
Direct Appointment

6) Post for direct appointment and source :- Direct appointment in the

…ate on the post of Enforcement Sub Inspector only shall be made on the recommendation of the Commission

7) Determination of Vacancies :- The State Transport Commissioner shall determine the number of anticipated vacancies every year and shall inform the commission. The number of vacancies for direct recruitment shall be determined category wise in accordance with the provisions of reservation.

8) Publication of vacancies and inviting application:- The Commission shall advertise vacancies for the posts to be filled up by direct recruitment from time to time as it deems fit. The Commission shall invite application for appearing at the Competitive Examination from candidates desirous of appointment as per the procedure decided by the commission itself.

9) Age limit :- The maximum and minimum age of the applicant to participate in the Competitive Examination shall be the same as decided by the State Government from time to time.

Note:- The date of birth mentioned in the Matriculation Certificate or equivalent examination shall be considered as basis for determination of age.

10) Physical fitness and health:- The applicant should be smart and in good health and free from any such hereditary defect or physical disability which may interfere with his efficiency in discharge of duties of enforcement in the Department.

11) Character :- The candidate must have good moral character. A person convicted of an offence involving moral turpitude shall not be eligible for appointment.

12) Educational Qualification :- The minimum educational qualification of a candidate must be Graduate or equivalent degree from a recognised university.

13) Competitive Examination :- The competitive examination shall consist of the following three parts :

a) Written Test
b) Physical Test
c) Interview

Note :- The Physical Test shall be qualifying in nature.

14) Written Test : - The written test shall be conducted by the Commission in such manner as it may deem fit and proper.

15) Physical Test:- The physical test of the candidates selected shall be conducted by the commission in such a manner as it may deem fit and proper. The minimum yardstick for physical fitness shall be :-

(5)

Male	- (i) Height	- 165 Cms.
	(ii) Chest	- 79 Cms normal 84 Cms expanded.
	(iii) Ability to walk	- 25 Kms in 4 hours.
Female	- (i) Height	- 150 Cms.
	(iii) Ability to walk	- 14 Kms. in 4 hours.

16) Interview :- The Commissioner shall invite, candidates selected on the basis of written test and qualified in physical test, for interview to judge overall personality. knowledge of the subjects, awareness of current events, their constructive qualities and to evaluate their abilities to work under Enforcement wing of the Transport Department.

17) Recommendation by the Commission to the Appointing authority :- The Commission shall prepare final list in order of merit on the basis of performance in the written test. physical test and interview. The merit list shall be based on the total marks obtained in the written test and interview and the commission shall forward the merit list, thus prepared in accordance with number of vacancy with category of reservation, to the appointing authority.

Note :- (i) If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate with higher age will be placed higher in the merit list.

(ii) In case a candidate is not available or found unfit for appointment, the appointing authority may ask for additional names from the merit list.

Provided that after lapse of one year from the date of first recommendation, there shall not be any consideration of any supplementary recommendation received from the commission nor the commission shall forward any supplementary recommendation thereafter.

18) Medical examination :- The medical examination of the candidates recommended by the commission shall be conducted by a Medical Board constituted by the Director-in-Chief, Medical Services. The candidate declared fit by the Medical Board shall be appointed on the post by the appointing authority.

19) (a) Probation- The suitable candidate selected finally shall be appointed on probation of two years on the post of enforcement Sub-Inspector. During this period he may be sent for practical training of departmental works in such institution institutions where it is deemed fit and proper by the Government. The member of the service shall be entitled to pay and allowances admissible to the post during the probation period.

(b) If a member of service appointed on probation does not complete training

successfully or his work during the probation period is found to be unsatisfactory, the appointing authority may extend his probation period for one more year. If he fails to complete training successfully or his work and conduct is still unsatisfactory during the extended period of probation, he shall be declared unfit for service and his service shall, for reasons to be recorded, be terminated, for which such member of the service can not claim any compensation.

(c) Confirmation :- A member of the service on probation shall be confirmed at the end of the probation period or extended period of probation, if his work and conduct is found to be satisfactory, has completed the prescribed training and has cleared the prescribed departmental examination.

Part-3

Promotion

20) Enforcement Inspector :- (a) Promotion to the post of Enforcement Inspector may be granted on the basis of seniority-cum- merit.

(a) The appointment by promotion shall be recommended by the Promotion Committee constituted of the following:-

1. State Transport Commissioner - Chairman
2. An officer of the Transport Department not below the rank of Deputy Secretary. - Member
3. Additional Transport Commissioner/ Joint Transport Commissioner - Member
4. An officer nominated by the Personnel and Administrative Reforms Department - Member

Note:- In case of non-availability of officer at serial number 2, any other officer, may be nominated as Member by the Secretary, Transport Department.

(b) The minimum qualifying time (Kalawadhi) for promotion shall be determined in accordance with the Resolution No. 280 dated 05.07.2002 of Personnel and Administrative Reforms Department and as the State Govt. may, from time to time specify on the basis of pay scale.

21) Enforcement Officer :- The minimum qualifying time (Kalawadhi) for promotion from Enforcement Inspector to the post of Enforcement Officer shall be determined in accordance with the Resolution No. 280 dated 05.07.2002 of Personnel and Administrative Reforms Department and as the State Govt. may, from time to time specify on the basis of pay scale.

22) Recommendation of the Commission and appointment :- (a) Promotion to the

post of Enforcement Officer shall be recommended by the committee constituted in the following manner:-

1. Chairman of the Bihar Public Service Commission or a Member nominated by him - Chairman
2. Secretary, Transport Department - Member
3. State Transport Commissioner - Member
4. An Officer nominated by the Personnel and Administrative Reforms Department - Member

The process of selection and recommendation by the commission shall be same which is applicable in case of promotion to all other Gazetted Services.

(b) On the recommendation of the commission the Government shall make appointment on the post of Enforcement Officer.

23) The promotion shall be provisional:- The Enforcement Sub-Inspector selected under rule (21) or Enforcement Inspector selected under rule (23) shall be promoted provisionally and in case his work and conduct is not satisfactory within three years from the date of promotion, he shall be reverted to the post of basic grade which he holds substantively without detailed departmental proceedings.

Part-4

Miscellaneous

24) Inter-se seniority:- (a) The inter-se seniority of the directly appointed members to the cadre in a calender year on the recommendation of the commission shall be determined on the basis of the merit list prepared by the commission.

(b) Such members of the cadre who have been appointed by promotion on the posts of the cadre prior to commencement of these rules, shall be deem to be members of the service unless a contrary order is passed. The seniority amongst direct recruit vis-a-vis such members shall be determined on the basis of date of appointment on the post in the cadre.

Note:- Such officers of any other cadre who are working on deputation on the date of commencement of these rules or thereafter shall not be deemed to be member of the cadre.

25) Departmental Examination :- All directly appointed member to the cadre shall have to pass the departmental examination to be conducted by the Board of Revenue for mofussil clerks. In addition there shall be a paper to test their knowledge of Motor Vehicles Act and Rules. Those who do not pass such examination within two years

from the date of appointment, shall not be entitled to second increment and shall not be considered for any promotion until they succeed in the examination.

Provided that the withheld increment shall be allowed from the date of examination without arrears on passing the departmental examination and eligibility for confirmation or promotion shall be reinstated from that date. The requirement of passing departmental examination may be waived on completion of fifty years of age.

26) Reservation :- The Act/ rules/ resolutions/ instructions regarding reservation for direct recruitment and promotion as determined from time to time by the personnel and Administrative Reforms Department, shall be applicable.

27) Application of General rules:- All general rules made by the State Government in respect of appointment, promotion, discipline, appeal including service conditions for which no specific provisions have been made in these rules, shall be applicable in case of members of service.

28. Repeal and saving :- (1) the rules contained in memo no. 2130 dated 21.03.1991 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the said repeal anything done or any action taken under any of the provisions of the rules so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[File No. 7 (B)E-97/2000 (Part-I)]
By Order of the Governor of Bihar,

24.9.03
(N.K. Sinha)
Secretary to the Government.

ज्ञापक-7(बा)इ-97/2000 (खण्ड-1) 3926 / पटना, दिनांक 24 सितंबर 2003

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ विभागीय व्यवहारार्थ इस विभाग को कृपया उपलब्ध कराई जाय ।

24.9.03
(एन. के. सिन्हा)
सरकार के सचिव ।

(1)

ज्ञापांक 7(वो)इ-97/2000 (खण्ड 1) 3926 / पटना, दिनांक 24 सितंबर 2003

प्रतिलिपि सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप-परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी मोटर यान निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित ।

(एन. के. सिन्हा)
सरकार के सचिव ।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के [illegible]
[illegible]

कार्यालय आदेश संख्या [illegible] 42019 [illegible]–2130, पटना, दिनांक 21 मार्च 1991

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय की प्रवर्तन शाखा में [illegible] प्रवर्तन अवर-निरीक्षकों के सृजित कुल पदों पर [illegible] निम्नांकित नियमों के अनुसार [illegible] जायेगी।——

1. चलन्त दस्ता [illegible]——प्रवर्तन शाखा में चलन्त दस्ता निरीक्षक के वेतनमान 1,400——2,300 रुपये के [illegible] सृजित हैं। [illegible] हैं तथा [illegible] के लिये [illegible] है।

2. प्रवर्तन अवर-निरीक्षक——प्रवर्तन शाखा में प्रवर्तन अवर-निरीक्षक के [illegible] 2,040 रुपये में सृजित है। ये [illegible] पद है। ये [illegible] परिवहन विभाग के [illegible] में कार्यरत कर्मचारियों, टंककों एवं लिपिकों तथा [illegible] कार्यालयों में कार्यरत [illegible] के लिए सुरक्षित है। परिवहन विभाग के मुख्यालय में कार्यरत [illegible] में कार्यरत लिपिकों की वरीयता एवं योग्यता के आधार पर [illegible] किया जाता [illegible] वरीयता [illegible] प्रोन्नति से नियुक्ति की जाती है। [illegible] निरीक्षक के पद सृजित हुए हैं, इस तरह परिवहन विभाग का प्रवर्तन अवर-निरीक्षक [illegible] है। ये [illegible] पद स्थानांतरणीय हो जाते हैं।

(1) चलन्त दस्ता निरीक्षक और प्रवर्तन अवर-निरीक्षक के पद पर [illegible]——

(क) चलन्त दस्ता निरीक्षक के पद पर प्रवर्तन अवर-निरीक्षकों का और प्रवर्तन अवर-निरीक्षक के पद पर परिवहन विभाग के मुख्यालय में कार्यरत [illegible] कर्मचारियों [illegible] तथा [illegible] कार्यालयों के लिपिकों का वरीयता एवं योग्यता के आधार पर [illegible] की जायेगी।

(ख) विभागीय प्रोन्नति पर निर्णय लेने के लिए एक [illegible] समिति रहेगी। [illegible] के [illegible] राज्य परिवहन आयुक्त रहेंगे [illegible] राज्य परिवहन आयुक्त ([illegible]) एवं [illegible] राज्य परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) इस समिति के सदस्य रहेंगे। समिति [illegible] वरीयता एवं योग्यता की जाँच के पश्चात् प्रोन्नति का निर्णय लेगी। [illegible] के प्रशिक्षण का प्रश्न [illegible] तो समिति इसके लिए [illegible] आधार [illegible]।

(ग) [illegible] करने के लिए [illegible] प्रशिक्षण [illegible] होगी। प्रशिक्षण अवधि में [illegible], [illegible] होंगे तथा [illegible] प्रदानकर्ताओं को [illegible] रहेंगे। इसके अतिरिक्त [illegible] के लिये कचहरी में [illegible] प्रोजेक्यूटर के साथ संलग्न रहना होगा, ताकि मुकदमों के [illegible] प्रोजेक्यूशन के संबंध में उन्हें पर्याप्त जानकारी हासिल हो सके।

नोट——चुनाव के पश्चात् राज्य परिवहन आयुक्त, [illegible] महानिरीक्षक, बिहार तथा [illegible] प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

(2) चयन के लिये योग्यता——

(क) मुख्यालय कार्यालय में कार्यरत [illegible] अभ्यर्थियों, टंककों एवं लिपिकों तथा [illegible] कार्यालय में [illegible] लिपिकों में से चुनाव के लिए वरीयता के आधार पर [illegible] उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रोन्नति पर विचार होगा जो——

(i) अच्छे चरित्र के हों,

(ii) चुनाव की तिथि को 45 वर्ष से अधिक उम्र के न हों,

(iii) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों तथा रोग ग्रस्त न हों,

(iv) ऊंचाई में कम-से-कम 5 फीट 3 इंच [illegible] सीना की चौड़ाई (बिना फुलाये) [illegible] से कम न हो।

(3) इस विषय पूर्व में निर्गत [illegible] आदेशों को [illegible] किया जाता है।

[illegible]
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

[illegible] 1991 [illegible] 2130 [illegible]-15, दिनांक [illegible] मार्च, 1991

प्रतिलिपि [illegible] महानिदेशक [illegible] एवं पुलिस [illegible] को [illegible] प्रेषित।

[illegible]
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।